



2026:AHC:180709

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 13745/2026

महेन्द्र

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: मुहम्मद शाहिद सिद्दीकी, काजी वकील अहमद

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, नेहा पाल, संजय कुमार पाल

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुहम्मद शाहिद सिद्दीकी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि यह आवेदन स्वीकार किया जाए तथा सत्र वाद संख्या 859/2024 राज्य बनाम महेन्द्र, भा.द.सं. की धारा 307, 452, 323, 504, 506 के अंतर्गत, की संपूर्ण कार्यवाही को, तथा दिनांक 01.07.2024 के आरोप-पत्र संख्या 189/2024 को, तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ, कानपुर नगर के न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 05.07.2024 के संज्ञान आदेश को, तथा विद्वान सत्र न्यायालय, कानपुर नगर द्वारा पारित दिनांक 20.07.2024 के समन आदेश को, जो मुकदमा अपराध संख्या 0121/2024 (थाना महाराजपुर, कानपुर नगर) से उद्भूत हुआ है, खारिज किया जाए तथा उक्त सत्र वाद की आगे की कार्यवाही को स्थगित किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक के विरुद्ध कोई वाद नहीं बनता है तथा प्रवर्तित आपराधिक कार्यवाहियां विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त सामग्री विद्यमान है।

5. अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विवेचना पूर्ण होने के पश्चात आवेदक के विरुद्ध दिनांक 01.07.2024 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया तथा आवेदक के विरुद्ध दिनांक 05.07.2024 को संज्ञान लिया गया। यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 22.08.2024 को भा.द.सं. की धारा 307, 452, 323, 504, 506 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अमित कपूर बनाम रमेश चंदर तथा अन्य (2012) 9 एससीसी 460** में धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग में, विशेष रूप से आरोप के अभिखंडन के संबंध में, अधिकारिता के उचित प्रयोग हेतु विचारणीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जो निम्नानुसार प्रगणित हैं:-

- 1) यद्यपि संहिता की धारा 482 के अंतर्गत न्यायालय की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, किंतु शक्ति जितनी अधिक होगी, इन शक्तियों का आह्वान करने में उतनी ही अधिक सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए। आपराधिक कार्यवाहियों को खारिज करने की शक्ति, विशेष रूप से संहिता की धारा 228 के अनुसार विरचित आरोप को खारिज करने की शक्ति, अत्यंत विरल रूप से तथा सजगतापूर्वक और वह भी विरलतम वादों में ही प्रयोग की जानी चाहिए।
- 2) न्यायालय को यह कसौटी लागू करनी चाहिए कि क्या वाद के अभिलेख तथा उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से किए गए निर्विवादित अभिकथन प्रथम दृष्टया अपराध को स्थापित करते हैं या नहीं। यदि अभिकथन इतने स्पष्टतः बेतुके और स्वभावतः असंभाव्य हैं कि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकता और जहां आपराधिक अपराध के मूल तत्व संतुष्ट नहीं होते हैं, तब न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
- 3) उच्च न्यायालय को अनुचित रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आरोप विरचित करने या आरोप के अभिखंडन के प्रक्रम पर यह विचार करने के लिए कि वाद दोषसिद्धि में परिणत होगा या नहीं, साक्ष्य की सूक्ष्म परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
- 4) जहां न्याय की हानि को रोकने तथा अवर न्यायालयों द्वारा की जा सकने वाली किसी गंभीर त्रुटि को सुधारने हेतु ऐसी शक्ति का प्रयोग नितांत आवश्यक है, वहां भी उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में अभियोजन का प्रारंभ में अभियोजन की कार्यवाही को रोकने या हस्तक्षेप करने से विमुख रहना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- 5) जहां संहिता के किसी उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी विशिष्ट विधि में ऐसी आपराधिक कार्यवाहियों के प्रारंभ या संस्थित करने तथा उनकी निरंतरता के लिए ही कोई अभिव्यक्त विधिक वर्जन अधिनियमित है, वहां ऐसे वर्जन का आशय अभियुक्त को विशिष्ट संरक्षण प्रदान करना है।
- 6) न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अपराधी की विवेचना एवं अभियोजन करने के परिवादी या अभियोजन पक्ष के अधिकार के मध्य संतुलन स्थापित करे।
- 7) न्यायालय की प्रक्रिया को किसी तिर्यक् या गुप्त प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- 8) जहां किए गए अभिकथन, जैसा कि वे अभिलेख तथा उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से प्रकट होते हैं, प्रमुखतः केवल एक 'सिविल क्षति' को उद्भूत एवं गठित करते हैं, जिसमें 'आपराधिता का कोई तत्व' नहीं है, और आपराधिक अपराध के मूल तत्वों को संतुष्ट नहीं करते हैं, वहां न्यायालय आरोप को खारिज करने में न्यायोचित हो सकता है। ऐसे वादों में भी, न्यायालय साक्ष्य के समालोचनात्मक विश्लेषण में प्रवृत्त नहीं होगा।
- 9) एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण सतर्कता जो न्यायालयों को बरतनी है, यह है कि वे अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य और सामग्री की यह अवधारित करने हेतु परीक्षा नहीं कर सकते कि क्या इतनी पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर वाद दोषसिद्धि में परिणत होगा; न्यायालय मुख्यतः इस बात से संबंधित है कि क्या समग्र रूप से लिए गए अभिकथन कोई अपराध गठित करेंगे और, यदि हां, तो क्या यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जो अन्याय की ओर ले जाता है।
- 10) न तो यह आवश्यक है और न ही न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विवेचना एजेंसियों द्वारा संग्रहित साक्ष्य का पूर्ण जांच करे या उसका अधिमूल्यन करे, यह जानने के लिए कि यह दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का वाद है।
- 11) जहां अभिकथन एक सिविल दावे को उद्भूत करते हैं और एक अपराध की कोटि में भी आते हैं, केवल इस कारण कि एक सिविल दावा पोषणीय है, इसका यह अर्थ नहीं है कि एक आपराधिक परिवाद पोषणीय नहीं हो सकता।
- 12) धारा 228 और/अथवा धारा 482 के अंतर्गत अपनी अधिकारिता के प्रयोग में, न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने हेतु कि कोई अपराध प्रकट नहीं हुआ या उसकी दोषमुक्ति की संभावना थी, अभियुक्त द्वारा दी गई बाह्य सामग्री को विचार में नहीं ले सकता। न्यायालय को अभियोजन द्वारा संलग्न अभिलेख तथा दस्तावेजों पर विचार करना होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13) आरोप का अभिखंडन निरंतर अभियोजन के नियम का एक अपवाद है। जहां अपराध मोटे तौर पर भी संतुष्ट होता है, वहां न्यायालय को उस प्रारंभिक प्रक्रम पर उसे खारिज करने के स्थान पर अभियोजन की निरंतरता की अनुज्ञा देने की ओर अधिक प्रवृत्त होना चाहिए। न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह दस्तावेजों या अभिलेखों की ग्राह्यता और विश्वसनीयता का निर्णय करने की दृष्टि से अभिलेखों को संयोजित करे, बल्कि यह प्रथम दृष्टया गठित एक राय है।

14) जहां आरोप-पत्र, अर्थात् संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत आख्या, मूलभूत विधिक त्रुटियों से ग्रस्त है, वहां न्यायालय आरोप विरचित करने हेतु अपनी अधिकारिता के भीतर हो सकता है।

15) उपरोक्त में से किसी एक या सभी के साथ, जहां न्यायालय यह पाता है कि यह संहिता की प्रक्रिया के दुरुपयोग की कोटि में आएगा या न्याय का हित अन्यथा पक्ष में है, वहां वह आरोप को खारिज कर सकता है। यह शक्ति एक्स डेबिटो जस्टिशिए (ex debito justitiae) अर्थात् वास्तविक और सारवान् न्याय करने के लिए प्रयोग की जानी है, जिसके प्रशासन के लिए ही न्यायालयों का अस्तित्व है।

ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से तथा वरीयतः सामूहिक रूप से (एक या अधिक) विचार में लिया जाना चाहिए।

7. चूंकि आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित किए जा चुके हैं तथा विचारण न्यायालय ने एक अनंतिम दृष्टिकोण अपनाया है जो कार्यवाहियों के अंतिम परिसमापन के अध्याधीन है, अतः न्यायालय धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अभियोजन के मामले पर अनुचित रूप से संदेह नहीं करेगा और शीघ्रतापूर्वक आरोप को खारिज करने हेतु अपनी अधिकारिता का विस्तार नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, मामले का सत्य तब प्रकट होता है जब अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, बचाव पक्ष द्वारा साक्षियों की प्रति-परीक्षा की जाती है, धारा 313 दं.प्र.सं. के अनुसार अभियुक्त के समक्ष अभिकथित सामग्री और साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तथा तत्पश्चात अभियुक्त को, यदि कोई हो, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे चरण के पूर्ण होने पर ही विचारण का समापन होता है, जिसमें न्यायालय अपनी अंतिम राय बनाता है तथा अपने निर्णय सुनाता है।

8. तदनुसार, पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन इस स्वतंत्रता के साथ निरस्त किया जाता है कि अभियुक्त-आवेदक विचारण के दौरान अपने समस्त तर्क प्रस्तुत कर सकेगा तथा विचारण न्यायालय यथासंभव शीघ्र विचारण का समापन करेगा, जिसके लिए आवेदक तथा अभियोजन पक्ष सहयोग करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

31 अगस्त, 2026

शिवानी श्री

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।